अध्याय-7
पंचायत क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता

- स्वीकृत प्रतिदर्श आकार
- स्वच्छ शौचालय
- नल जल योजना का निष्पादन
- जल जीवन मिशन
- सड़कों की स्थिति
- जल निकासी
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
- कोष की व्यवस्था
- समेकित बाल विकास
- मितानिन स्वास्थ्य कार्यकर्ता
- शिक्षा की उपलब्धता

7.1 आजादी नीचे से शुरू होनी चाहिए। हर एक गाँव में जमहूरी सल्तनत या पंचायत का राज होगा। उसके पास पूरी सत्ता और ताकत होगी। इसका मतलब यह है कि हर एक गाँव को अपने पाँव पर खड़ा होना होगा अपनी जरूरतें खुद पूरी कर लेनी होंगी, ताकि वह अपना सारा कारोबार खुद चला सके। – "महात्मा गाँधी"

7.2 अब जब भारत अपनी आजादी की स्वर्ण जयंती वर्षगाँठ को पार कर चुका है, तो इस देश की समस्त राजनैतिक सत्ता प्रणाली और प्रत्येक नागरिक को आत्म विवेचन–विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि 1 जुलाई 1947 को हरिजन पत्रिका में छपे गाँधी जी के ग्राम स्वराज से संबंधित उक्त आदर्शों को और आजाद भारत में करोड़ों मनुष्यों के जीवन में उनकी सामाजिक–आर्थिक–राजनैतिक मुक्ति की कामनाओं को किस हद तक प्राप्त किया जा सका है? और ग्राम स्वराज जिस रथ पर सवार होकर इस देश में स्थापित होना था, उसकी दशा और दिशा क्या है? पंचायती राज संस्था ने ग्रामीण जीवन दशा में कैसी रचनात्मक क्रांति की है?

7.3 गाँधी जी के ग्राम स्वराज के आदर्श के साथ साथ, प्रकृति के संरक्षण और समतावादी– सामंजस्यपूर्ण संसाधन उपभोग की आर्थिक नीति, तथा स्थानीय आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता प्रदान करते हुए संधृत विकास की जो आधुनिक परिकल्पना है, उसका वाहक बनने में हमारी पंचायती राज व्यवस्था कितनी सार्थक सिद्ध हुई हैं?

7.4 क्या पंचायतों द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, तथा मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक मूलभूत जरूरतों की पूर्ति हो रही है? क्या पंचायतों द्वारा प्रत्येक मनुष्य की सामाजिक–राजनैतिक–आर्थिक सहभागिता को उच्चतर स्तर पर प्राप्त किया जा रहा है? और यदि इन आदर्शों को प्राप्त करने में कठिनाइयाँ हैं, तो उन चुनौतियों को दूर करने के लिए कौन कौन से विधिक तथा सामुदायिक प्रयासों की आवश्यकता है?

7.5 निःसंदेह ग्राम स्वराज का आदर्श, प्रगतिशील आधुनिकता से जुड़कर ग्रामीण जीवन में रचनात्मक क्रांति को संभव बनाने की दिशा में है। इस अध्याय में हम कुछ मूलभूत आवश्यकताओं के संदर्भों के आधार पर पंचायत प्रणाली द्वारा प्रदत्त सुविधाओं तथा उनकी उपलब्धियों और चुनौतियों का विश्लेषण कर रहे हैं।

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत प्रतिदर्श आकार

7.6 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग ने राज्य के 11,664 ग्राम पंचायतों से प्रश्नावली के माध्यम से ऑनलाइन जानकारी मांगी थी, प्राप्त जानकारियों की आँकड़ों की शुद्धता की जाँच की गई, तथा इनमें 5,950 ग्राम पंचायतों की जानकारियों को प्रतिदर्श आकार (सैंपल साइज) के रूप में अध्ययन हेतु स्वीकृत किया गया, जो कि राज्य में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या का 51 प्रतिशत है। इनमें राज्य के सभी 28 जिलों से कम से कम 30% से अधिक ग्राम पंचायतें, प्रतिदर्श आकार में शामिल हैं। (अनुलग्नक 7.1)

7.7 आयोग द्वारा अध्ययन हेतु स्वीकृत प्रतिदर्श आकार सारभूत रूप से बड़ा है, तथा राज्य की विभिन्न क्षेत्रीय विशेषताओं, विकास समस्याओं, संसाधन जरूरतों तथा आँकड़े की शुद्धता को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकृत किया गया है। इन आँकड़ों के अध्ययन से प्राप्त प्राचल, राज्य में ग्राम पंचायतों के विकास तथा वित्तीय स्थितियों के वास्तविक वस्तुस्थिति को व्यक्त करने हेतु विश्वसनीय हैं।

- राज्य में कुल 6,032 गैर अनुसूचित ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें 3,315 ग्राम पंचायतें, प्रतिदर्श आकार, 5950 में शामिल है, जबकि अनुसूचित ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 5,632 हैं, जिनमें 2,635 ग्राम पंचायतें, प्रतिदर्श

आकार 5,950 में शामिल हैं। इस तरह कुल प्रतिदर्श आकार में 55.7% गैर अनुसूचित ग्राम पंचायतें तथा 44.3ःअनुसूचित ग्राम पंचायतें शामिल हैं।

- गैर अनुसूचित क्षेत्र के अध्ययन हेतु 3,315 ग्राम पंचायतें प्रतिदर्श आकार में शामिल की गई हैं, जो कि राज्य में कुल गैर अनुसूचित ग्राम पंचायतों की संख्या का 54.95% है। (अनुलग्नक 7.1)
- अनुसूचित क्षेत्र के अध्ययन हेतु 2,635 ग्राम पंचायतें प्रतिदर्श आकार में शामिल की गई हैं, जो कि राज्य में कुल अनुसूचित ग्राम पंचायतों की संख्या का 46.78% है। (अनुलग्नक 7.1)

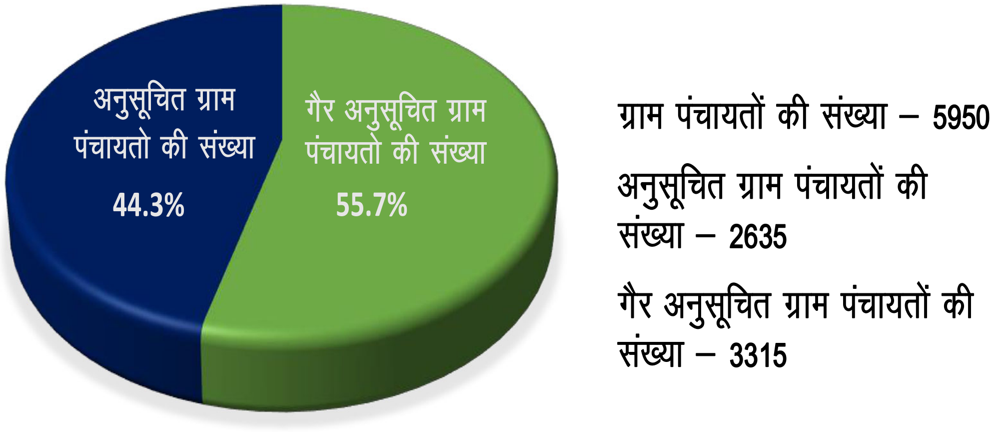

स्वीकृत प्रतिदर्श आकार

प्रदेश में स्वच्छ शौचालय की उपलब्धता

7.8 स्वच्छ शौचालय की उपलब्धता, मनुष्य के गुणवत्तापूर्ण जीवन दशा के निर्धारण हेतु प्राथमिक मानक है। स्वच्छ शौचालय का अत्यंत सुलभ होना, स्वास्थ्य सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, तथा महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से अनिवार्य तथा मूलभूत आवश्यकता है। केंद्र तथा राज्य सरकारें अपने कई योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक नागरिक तथा परिवार के लिए स्वच्छ शौचालय की उपलब्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही हैं, इस दिशा में स्थानीय निकायों द्वारा किये गए प्रयास अत्यंत कारगर सिद्ध हुए हैं। स्वच्छ शौचालय की उपलब्धता के विस्तार को दो मानकों द्वारा प्राप्त किया सकता है, पहला प्रत्येक घर/परिवार में निजी शौचालय की उपलब्धता, दूसरा सार्वजनिक स्थलों पर सुविधापूर्ण, स्वच्छ तथा सुरक्षित सुलभ शौचालय की उपलब्धता।

7.9 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के सर्वेक्षण – अध्ययन 1 के अनुसार बिन्दुक्रमांक 7.9 से 7.16 तक का विश्लेषण आयोग द्वारा संकलित समंक के आधार पर किया गया है, अनुलग्नक 7.2 के रूप में संलग्न है। प्रदेश के ग्रामीण पंचायत क्षेत्र में औसत 85% घरों में निजी शौचालय उपलब्ध हैं, तथा 78.22% ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। क्षेत्रीय स्तर पर शौचालय की उपलब्धता में विषमतायें हैं, तथापि यह

विषमता अंतराल बहुत अधिक नहीं है, ग्राम पंचायतों द्वारा प्राथमिकतापूर्ण तथा समयबद्ध लक्ष्य निर्धारण कर यह विषमता दूर की जा सकती है।

7.10 ग्रामीण अनुसूचित पंचायत क्षेत्र में शौचालय की उपलब्धता वाले घरों का प्रतिशत 88.8% है, जबकि गैर अनुसूचित पंचायत क्षेत्र में निजी शौचालय की उपलब्धता वाले घरों का प्रतिशत कम होकर 82.6% है।

7.11 सार्वजनिक शौचालय की उपलब्धता हेतु भी अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों ने, गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों की तुलना में सार्थक प्रयास किया है। अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में 79% ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध है, जबकि गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में 77.6% ग्राम पंचायतों मे सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध हैं।

7.12 अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में धमतरी, जशपुर, राजनांदगांव जिले में लगभग 98%, बालोद, बस्तर, कांकेर, कोंडागाँव, सूरजपुर, गरियाबंद, कोरबा, जिले में 90% से अधिक तथा अन्य जिलों में 85%से 90% के बीच घरों में निजी शौचालय उपलब्ध हैं। बीजापुर (41.1%), सुकमा (55.5%), दंतेवाड़ा (65.4%) तथा नारायणपुर (72.5%) जिले में निजी शौचालय की उपलब्धता वाले घरों का प्रतिशत कम है।

निजी शौचालय

- **ग्राम पंचायत क्षेत्रों में 85% घरों में निजी शौचालय की उपलब्धता है।**
- **गैर अनुसूचित क्षेत्रों में 82.6% तथा अनुसूचित क्षेत्रों में 88.8% घरों में निजी शौचालय की उपलब्धता है।**
- **प्रदेश स्तर पर जशपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद, तथा बालोद जिले में 95% से अधिक घरों में निजी शौचालय उपलब्ध हैं।**

7.13 गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में दुर्ग, राजनांदगॉव, महासमुंद, बालोद, तथा रायपुर जिले की ग्राम पंचायतों में लगभग 95% तथा उससे अधिक घरों में निजी शौचालय उपलब्ध हैं, वहीं धमतरी, गरियाबंद, बेमेतरा में निजी शौचालय की उपलब्धता का प्रतिशत 90% से अधिक है। कवर्धा, बलौदाबाजार, बिलासपुर, रायगढ, मुंगेली जिले की ग्राम पंचायतों में निजी शौचालय की उपलब्धता का प्रतिशत 80% से अधिक है, परंतु जांजगीर–चांपा जिले में शौचालय वाले घरों का प्रतिशत मा़त्र 51% है।

7.14 सार्वजनिक शौचालय की उपलब्धता में भी अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों ने प्रशंसनीय कार्य किया है। दंतेवाड़ा जिले में लगभग 96% ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध हैं. वहीं धमतरी, जशपुर में 90 प्रतिशत से अधिक है। सरगुजा, बालोद, गरियाबंद, गौरेला–पेंड्रा–मरवाही, सूरजपुर, कांकेर, सुकमा, राजनांदगाँव जिले में 80 प्रतिशत से भी अधिक ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध हैं। परंतु बीजापुर (52.2%), बलरामपुर (58.4%), कोंडागाँव (65.6%) तथा कोरिया (68.6%) जिले की ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक शौचालय की उपलब्धता वाले गाँवों का प्रतिशत तुलनात्मक रूप से कम है।

7.15 सार्वजनिक शौचालय की उपलब्धता हेतु भी गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को कारगर प्रयास करने होंगे। धमतरी, दुर्ग तथा गरियाबंद जिले में लगभग 98% गाँवों में सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध हैं, जबकि यह उपलब्धता जांजगीर–चांपा जिले में मात्र 65% तथा रायगढ़ जिले में मात्र 60% ही है।

सार्वजनिक शौचालय

- ग्राम पंचायत क्षेत्रों में 78% पंचायतों में सार्वजनिक शौचालय की उपलब्धता है।
- गैर अनुसूचित क्षेत्रों में 77.6% पंचायतों में तथा अनुसूचित क्षेत्रों में 79% पंचायतों में सार्वजनिक शौचालय की उपलब्धता है।
- प्रदेश स्तर पर दुर्ग तथा धमतरी जिले की ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक शौचालय की उपलब्धता लगभग 98% है।

7.16 सार्वजनिक शौचालय की उपलब्धता हेतु भी गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को कारगर प्रयास करने होंगे। धमतरी, दुर्ग तथा गरियाबंद जिले में लगभग 98% गाँवों में सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध हैं, जबकि यह उपलब्धता जांजगीर–चांपा जिले में मात्र 65% तथा रायगढ़ जिले में मात्र 60% ही है।

7.17 ग्रामीण पंचायत क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र तथा गैर अनुसूचित क्षेत्र में वर्गीकृत करके अध्ययन करने पर यह विशेष तथ्य सामने आता है कि शौचालय की उपलब्धता हेतु अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों ने गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों की तुलना में बेहतर कार्य किया है।

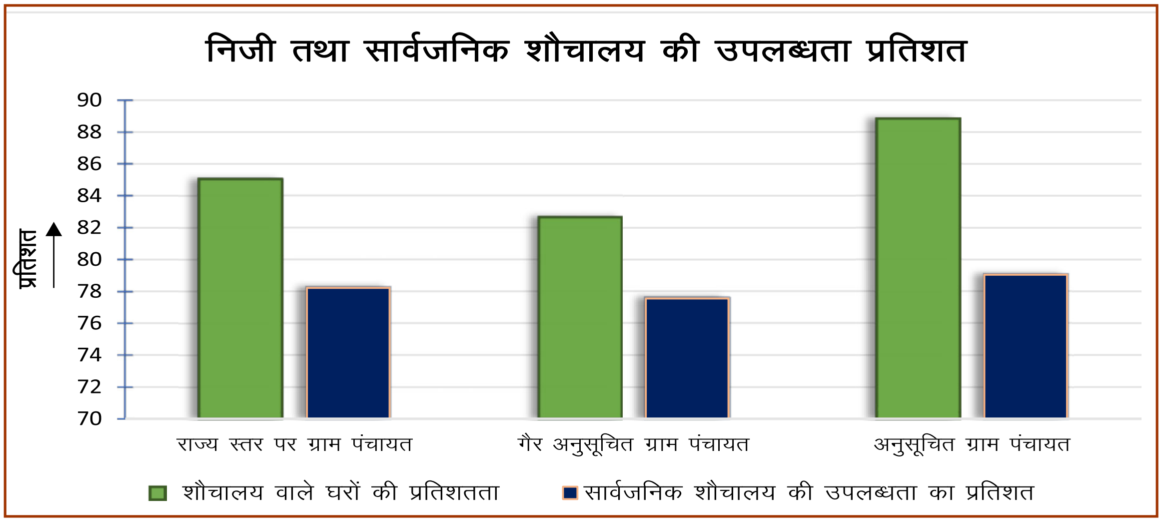

नल जल योजना का निष्पादन

7.18 स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा नल जल योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यद्यपि ग्राम पंचायतों द्वारा प्रदत्त सेवाओं में नल जल आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है, तथापि राज्य में नल जल योजना द्वारा जलापूर्ति का स्तर असंतोषजनक है।

7.19 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के सर्वे – अध्ययन के अनुसार, राज्य स्तर पर नल जल योजना वाली ग्राम पंचायतें मात्र 50.6% हैं, इसमें से एक तिहाई (34.2%) ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जहाँ नल जल योजना हैं, परंतु कई कारणों से बंद हैं। ऐसी ग्राम पंचायतें जहां नल जल योजना है, परंतु चालू नही है, इनमें लगभग 39.6% ग्राम पंचायतों में "समय पर बिजली बिल के भुगतान नहीं होने के कारण", 36.7% ग्राम पंचायतों में सुधार हेतु धनराशि

उपलब्ध नहीं होने के कारण तथा 41.5% ग्राम पंचायतों में "अन्य कारणों तथा एक से अधिक कारणों के कारण" नल जल योजना का सुचारू रूप से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। (अनुलग्नक 7.3)

7.20 गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में नल जल योजना कमोबेश बेहतर स्थिति में है। इन क्षेत्रों में 62.6% ग्राम पंचायतें नल जल योजना का क्रियान्वयन कर रही हैं, शेष ग्राम पंचायतें अन्यान्य कमियों के कारण, जिनमें बिजली बिल का समय पर भुगतान न होने तथा सुधार हेतु धनराशि की अनुपलब्धता के कारण, नियमित रूप से नल जल योजना का क्रियान्वयन नहीं कर पा रही हैं। (अनुलग्नक 7.3)

7.21 गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में धमतरी (94.3%), राजनांदगाँव (86.4%) तथा गरियाबंद (84.2%) जिले की ग्राम पंचायतों में नल जल योजना के क्रियान्वयन की प्रतिशतता उच्च है, जबकि महासमुंद, रायपुर, दुर्ग, बालोद जिले की ग्राम पंचायतों में दो तिहाई से अधिक ग्राम पंचायतों में नल जल योजना का क्रियान्वयन हो रहा है। परंतु बलोदा बाजार (40.3%), मुंगेली (44.5%), बिलासपुर (46.2%), तथा कबीरधाम (50%) जिले में आधे से भी कम ग्राम पंचायतों में नल जल योजना का क्रियान्वयन हो रहा है। (अनुलग्नक 7.3)

7.22 नल जल योजना का नियमित तथा सुचारू रूप से क्रियान्वयन कठिन समस्या बनी हुई है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में जहां नल जल योजना तो है, परंतु उन जिलों में एक चौथाई से अधिक ग्राम पंचायतों में योजना का नियमित संचालन नहीं हो पा रहा है, इस मामले में मात्र धमतरी जिला ही थोड़ी बेहतर स्थिति में है, जहां मात्र 11.5% ग्राम पंचायतें ही योजना के नियमित क्रियान्वयन की समस्या से जूझ रही हैं। (अनुलग्नक 7.3)

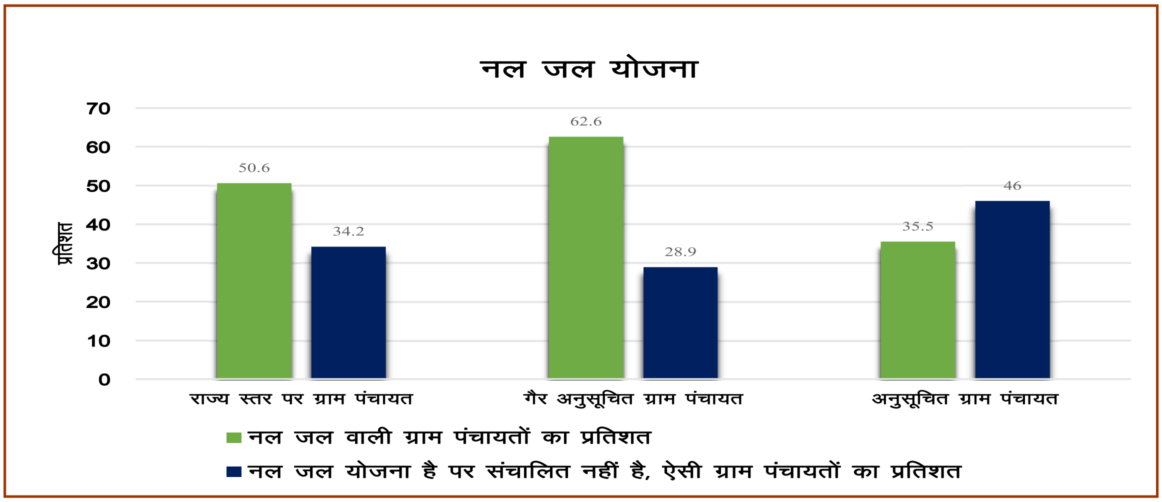

7.23 अनुसूचित क्षेत्र में नल जल योजना निराशाजनक स्थिति में है। अनुसूचित क्षेत्र की सभी जिलों की ग्राम पंचायतों में औसत मात्र 35.5% ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जहाँ नल जल योजना है। परन्तु समस्या इससे भी गंभीर है, कि जिन ग्राम पंचायतों में नल जल योजना हैं, उनमें भी लगभग 46% ग्राम पंचायतें, योजना का नियमित संचालन नहीं कर पा रही हैं। अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में लगभग 43% ग्राम पंचायतें "बिजली बिल के नियमित भुगतान ना कर पाने", 40.7% "सुधार कार्य हेतु धनराशि की अनुपलब्धता" तथा 47.4% पंचायतें "एक से अधिक कारणों के कारण" योजना का नियमित संचालन नहीं कर पा रही है। (अनुलग्नक 7.3)

7.24 अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में राजनांदगॉव (80.2%), बस्तर (71.2%), धमतरी (67.8%), गरियाबंद (54.8%) तथा रायगढ़ (51.1%) जिले की ग्राम पंचायतों में नल जल योजना वाली ग्राम पंचायत का प्रतिशत कमोबेश संतोषजनक है, परंतु दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोंडागांव, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर जिले की ग्राम पंचायतों में एक चौथाई से भी कम ग्राम पंचायतों में नल जल योजना की सुविधा उपलब्ध है। (अनुलग्नक 7.3)

जल जीवन मिशन

7.25 भारत सरकार के जलशक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा 01–04–2019 से "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घरों में "हर घर नल से जल" उपलब्ध कराया जाना है। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए सितम्बर 2023 तक प्रत्येक ग्रामीण घरों में "हर घर नल से जल" उपलब्ध कराया जाना लक्षित है।

7.26 प्रदेश में ग्रामीण पंचायत क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति योजनाओं हेतु वित्तीय संसाधन की व्यवस्था राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। ग्रामीण पंचायत क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजनायें निर्मित कर उन्हें क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी "लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग" की है। वर्तमान में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग "जल जीवन मिशन" के लक्ष्यों के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतु कार्य कर रही है।

7.27 इस कार्यक्रम में पूर्व से क्रियान्वित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) के समस्त घटकों को समाहित कर दिया गया है। (स्रोतः– वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, 2022–23, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़)

7.28 "जल जीवन मिशन" योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण घरों में एक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) द्वारा 55 लीटर प्रतिव्यक्ति, प्रतिदिन की निर्धारित मात्रानुसार, निर्धारित गुणवत्ता का स्वच्छ पेयजल (अनुलग्नक 7.4) मितव्ययी शुल्क दरों पर दीर्घकालिक आधार पर उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है। (अनुलग्नक 7.5)

7.29 "जल जीवन मिशन" योजना के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों में किसी एक श्रेणी के तहत गांव के भीतर जल स्रोत के विकास सहित जल आपूर्ति अवसंरचना का निर्माण करके प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) द्वारा जलापूर्ति करना है :–

1. पूर्ववर्ती राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) के तहत् चल रही योजनाओं के रेट्रोफिटिंग के माध्यम से
2. पूर्ण हो चुकी ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं को "जल जीवन मिशन" के लक्ष्यों के अनुरूप बनाकर, उनकी रेट्रोफिटिंग के माध्यम से
3. निर्धारित गुणवत्ता वाले भूजल / सतही स्रोत वाले ग्रामों में "एकल ग्राम योजना" के माध्यम से
4. शोधन की आवश्यकता वाले किंतु पर्याप्त भूजल वाले ग्रामों में "एकल ग्राम योजना" के माध्यम से

5. जल ग्रिड / क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना के साथ "समूह जल प्रदाय योजना" के माध्यम से

6. एकांत / जनजातीय / पहाड़ी / छोटे गांव / बसाहटों में लघु सौर उर्जा आधारित, पाइप जलापूर्ति के माध्यम से

7.30 राज्य वित्त आयोग एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मध्य आयोजित समीक्षा बैठक से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण बिन्दु 7.30 से 7.35 तक किया गया है जो 7.5 अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

7.31 प्रदेश में कुल आबाद ग्रामों की संख्या 19663 है जिनमें (24–08–2023 की स्थिति में) 1815 गाँवों में 100% परिवारों को कार्यशील घरेलु नल कनेक्शन (FHTC) प्रदान किया जा चुका है। शेष ग्रामों में भौतिक प्रगति निम्नानुसार है –

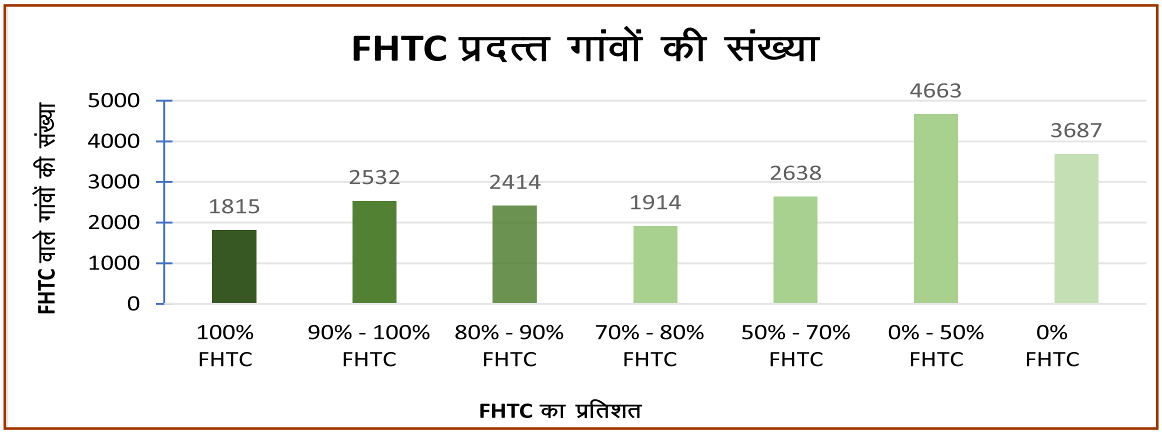

7.32 100% FHTC प्रदत्त गाँवों की सर्वाधिक संख्या क्रमशः धमतरी (205 गांव), रायपुर (191 गांव), महासमुंद (118 गांव), बेमेतरा (102 गांव), रायगढ़ (102 गांव), राजनांदगांव (101 गांव) जिले में है जबकि मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (4गांव), कोरिया (5 गांव), बलरामपुर (6 गांव), गौरेला–पेंड्रा–मरवाही (8 गांव), सरगुजा (8 गांव), सुकमा (12 गांव), जिले में यह सबसे कम है।

7.33 24–08–2023 की स्थिति में राज्य में कुल 4992575 ग्रामीण घरों में से 2872725 (57.5%) घरों को पाइप्ड वाटर सप्लाई (PWS) से जोड़ा जा चुका है। PWS से जुड़े घरो की प्रतिशतता सर्वाधिक धमतरी (85.7%), रायपुर (75.7%), दुर्ग (75.2%), राजनांदगांव (72.6%), मुंगेली (70.9%) तथा जांजगीर–चांपा (69.5%) जिले में है। (अनुलग्नक 7.5)

7.34 प्रदेश में 11 जिले ऐसे हैं, जहां पाइप्ड वाटर सप्लाई से जुड़े घरों की संख्या 50% से कम है। पाइप्ड वाटर सप्लाई से जुड़े घरों की प्रतिशतता सबसे कम क्रमशः सारंगढ़–बिलाईगढ़ (38.5%), जशपुर (41.8%), तथा कोरबा (42.6%) जिले में है।(अनुलग्नक 7.5)

7.35 राज्य के वनांचल / पहाड़ी / विरल आबादी वाले गावों में जहां नल जल योजना की क्रियान्वयन लागत अधिक है, वहाँ सोलर आधारित जलप्रदाय योजना का क्रियान्वयन जल जीवन मिशन के अंतर्गत किया जा रहा है। सोलर आधारित जल प्रदाय योजना में सोलर पंप स्थापना हेतु क्रियान्वयन एजेंसी, राज्य अक्षय उर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) है। सोलर आधारित जल प्रदाय योजना के अंतर्गत दिसंबर 2022 की स्थिति में 4695 सोलर

पंप स्थापित कर कुल 191377 ग्रामीण परिवार, कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) के माध्यम से लाभान्वित किये गये। (स्रोत :– वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022–23, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छ.ग.)

7.36 राज्य में एन.ए.बी.एल से मान्यता प्राप्त एक राज्य स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर में कार्यरत है, जहां जल में मौजूद आर्सेनिक, फ्लोराइड, लेड तथा अन्य भारी धातुओं की जांच की जा सकती है। साथ ही राज्य में 28 जिला स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशालाओं में, 25 प्रयोगशालाएँ एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त हैं और 24 उपखण्ड स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशालाओं में 11 को एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त है।

ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित नल जल योजनाओं से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को निःशुल्क घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने हेतु "मिनीमाता अमृतधारा योजना" के अंतर्गत कुल 73584 बी.पी.एल. परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किये गये।

7.37 जल जीवन मिशन के अंतर्गत जलगुणवत्ता अनुश्रवण हेतु पंचायतों में जलगुणवत्ता परीक्षण हेतु फील्ड टेस्ट किट उपलब्ध कराकर, प्रत्येक ग्राम की 5–5 महिलाओं को जिन्हें "जल बहिनी" कहा जाता है, प्रशिक्षण प्रदान कर, पेयजल गुणवत्ता का परीक्षण किया जा रहा है।

ग्राम पंचायतें तथा "जल बहिनी" सामुदायिक रूप से आयोजित कार्यक्रम यथा "मोर गांव–मोर पानी", "जल गुणवत्ता पखवाड़ा", "स्वच्छ जल से सुरक्षा अभियान" आदि कार्यक्रमों द्वारा जलगुणवत्ता एवं स्वच्छता निरीक्षण के साथ–साथ स्वास्थ्य तथा जल संग्रहण–संरक्षण की दिशा में जन जागरूकता निर्मित करने का कार्य भी कर रही हैं।

प्रदेश के ग्रामीण निकायों में सड़कों की स्थिति

7.38 राज्य निर्माण के पश्चात् ग्रामीण अधोसंरचना के विकास को पहली प्राथमिकता दी गई। ग्रामीण सडकों का विकास, ग्राम विकास के लिए अनिवार्य तथा निर्विकल्प शर्त है। ग्रामीण सड़कों का विकास, सामाजिक और आर्थिक विकास के सभी आयामों में उत्तरोत्तर वृद्धि का संकेतक होता है। कृषि विकास तथा विस्तार, औद्योगिक संरचना के बदलते प्रतिरूपों के लाभों का ग्रामीण क्षेत्रों तक प्रसरण, मानव श्रम की गतिशीलता तथा गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन की उपलब्धता और उपयोग के लिए सड़कों का विकास प्रेरक तत्व का होता है।

7.39 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के सर्वे – अध्ययन के अनुसार प्रदेश के सभी 28 जिलों के ग्राम पंचायत क्षेत्रों में 42.8%, पक्की सड़कें तथा 57.2% कच्ची सड़कें हैं। प्रदेश के ग्राम पंचायतों में औसत 12.3 किलोमीटर सड़क लंबाई है, जिसमें 5.2 कि.मी. पक्की सड़क तथा 7.1 कि.मी. कच्ची सड़क है।

7.40 गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में पक्की सड़कों की उपलब्धता का प्रतिशत, अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों की तुलना में अधिक है। गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में 46.3% पक्की सड़कें तथा 53.7% कच्ची सड़कें हैं, जबकि अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में 39.7% पक्की सड़कें तथा 60.3% कच्ची सड़कें हैं।

7.41 गैर अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में धमतरी, महासमुंद, रायगढ़ जिले में 60% से अधिक पक्की सड़कें हैं, जबकि बेमेतरा, गरियाबंद, बालोद, रायपुर, दुर्ग जिले में ग्राम पंचायतों की 50% से अधिक सड़कें पक्की सड़कें

है। राजनांदगांव (32.31%), मुंगेली (35%), जांजगीर–चांपा (38.4%), कबीरधाम (38.6%) जिले की ग्राम पंचायतों में पक्की सड़कों की प्रतिशतता सबसे कम हैं।

7.42 अनुसूचित क्षेत्रों के ग्राम पंचायतों में पक्की सड़कों की प्रतिशतता 50% से कम है। सुकमा (9.25%), कोंडागाँव (12.82%), गौरेलो–पेंड्रा–मरवाही (19.4%) जिले की ग्राम पंचायतों में पक्की सड़क की प्रतिशतता सबसे कम है।

पंचायत क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति

- ग्राम पंचायत क्षेत्रों में 42.8% पक्की सड़कें तथा 57.2% कच्ची सड़कें हैं।
- ग्राम पंचायतों में सड़कों की औसत लंबाई 12.3 किलोमीटर है, जिसमें 5.2 कि.मी. पक्की सड़कें तथा 7.1 कि.मी. कच्ची सड़कें हैं।
- गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में 46.3% पक्की सड़कें तथा 53.7% कच्ची सड़कें हैं।
- अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में 39.7% पक्की सड़कें तथा 60.3% कच्ची सड़कें हैं।

जल निकासी

7.43 प्रदेश में लगभग 58% ग्राम पंचायतों में जल निकासी हेतु पक्की नाली की व्यवस्था की जा चुकी है। राज्य के गैर अनुसचित क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में लगभग 67% ग्राम पंचायतों में तथा अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में लगभग 46.2% ग्राम पंचायतों में जल निकासी हेतु पक्की नालियों की व्यवस्था की जा चुकी है।(अनुलग्नक 7.6)

7.44 गैर अनुसूचित क्षेत्र के सभी जिलों में 50ः से अधिक गावों में पक्की नालियाँ निर्मित हैं। धमतरी (85.6%) तथा दुर्ग (82.9%) जिले में पक्की नाली निर्माण वाली ग्राम पंचायतों की प्रतिशतता सर्वाधिक है, जबकि बेमेतरा (59.3%), मुंगेली (58.9%), महासमुंद्र (57%) तथा बलोदा बाजार (51.01%) जिले में पक्की नाली वाले गावों की प्रतिशतता कम है। अन्य जिलों में लगभग दो तिहाई से अधिक गाँवों में पक्की नालियाँ निर्मित हैं। (अनुलग्नक 7.6)

7.45 अनुसूचित क्षेत्र में बीजापुर (6.5%), सुकमा (16.7%), कोंडागाँव (19.6%), नारायणपुर (20.9%) तथा कोरिया (27.2%) जिलों में पक्की नालियों वाले गावों की प्रतिशतता सबसे कम है। बस्तर, जशपुर, राजनाँदगाँव तथा बालोद जिले में दो तिहाई से अधिक गाँवों मे पक्की नालियाँ निर्मित हैं, कोरबा तथा रायगढ़ जिले में आधे से अधिक गाँवों मे पक्की नालियाँ हैं। (अनुलग्नक 7.6)

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

7.46 प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था पूर्णरूप से ग्राम पंचायतों द्वारा प्रबंधित स्थिति में नहीं है, बल्कि अपशिष्ट निवारण ग्रामीणों के निजी प्रयासों तथा अनौपचारिक तरीकों पर निर्भर है। प्रदेश में मात्र 26% ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जहां ठोस अपशिष्ट निवारण तथा कूड़ा करकट इकट्ठा करने हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा प्रत्येक घर से अपशिष्ट संग्रहण किये जाने की व्यवस्था की गई है। (अनुलग्नक 7.6)

7.47 छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है, ग्रामीण अधिवासों में घरेलू अपशिष्ट के निवारण के लिए घर में ही गड्ढ़े बनाये गये होते हैं, इन अपशिष्टों का पुनः उपयोग खेतों में खाद के रुप में भी किया जाता है, अतः ग्राम पंचायतों

के लिए यह आवश्यक है कि वे उन ठोस अपशिष्टों का घर घर संग्रहण करें, जिनका नैसर्गिक रूप से पुनर्चक्रण नहीं हो सकता और जो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह होते हैं।

7.48 राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में मात्र 28% ग्राम पंचायतों में घरों से कूड़ा–करकट ले जाने की व्यवस्था है। ऐसी गाँवों की प्रतिशतता दुर्ग (57.5%) जिले में सर्वाधिक है, अन्य जिलों में धमतरी (41.1%), बिलासपुर (40.7%) तथा रायपुर (36.4%) जिले को छोड़कर अन्य जिलों में बहुत कम है। (अनुलग्नक 7.6)

7.49 अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ठ निवारण की ग्राम पंचायतों द्वारा की गयी, संस्थागत व्यवस्था अविकसित अवस्था में है। बीजापुर (4.3%), कोंडागाँव (9.8%), सरगुजा (12.3%), सुकमा (14.6%) जिले की ग्राम पंचायतों में घर घर से कूड़ा एकत्र करने वाली ग्राम पंचायतों की प्रतिशतता सबसे कम है। बालोद (39.2%), रायगढ़ (34.1%) तथा कांकेर (33.3%) को छोड़कर अन्य जिलों में एक तिहाई से कम गाँवों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की संस्थागत व्यवस्था, पंचायतों द्वारा की गयी है। अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में मात्र (23.5%) ग्राम पंचायतों में घरों से कूड़ा–करकट इकट्ठा करने की व्यवस्था है। (अनुलग्नक 7.6)

प्रकाश की व्यवस्था

7.50 ग्राम पंचायतों द्वारा गाँव की गलियों में विद्युत खंभों पर प्रकाश की व्यवस्था किया जाना पंचायतों द्वारा प्रदत्त सार्वजनिक सेवाओं में महत्वपूर्ण सेवा घटक है। ग्राम पंचायतों में प्रकाश व्यवस्था से सम्बन्धित बिंदुओं 7.49 से 7.53 की जानकारी अनुलग्नक 7.7 में संलग्न है। राज्य स्तर पर लगभग 51.2% ग्राम पंचायतों द्वारा गलियों में विद्युत खंभों पर प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध करायी जा रही हैं, जिनसे इन ग्राम पंचायतों की लगभग 87% ग्रामीण आबादी लाभान्वित होती है। राज्य स्तर पर लगभग 20.1% ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जहां कई कारणों से प्रकाश व्यवस्था होने के बावजूद स्ट्रीट लाइट चालू नहीं है। जिन ग्राम पंचायतों में प्रकाश व्यवस्था है, परंतु कई कारणों से नियमित स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, उनमें 40.9% ग्राम पंचायतें, संधारण हेतु धनराशि की अनुपलब्धता तथा 10.6% ग्राम पंचायतें, बिजली बिल का समय पर भुगतान ना कर पाने तथा शेष, अन्य और एक से अधिक कारणों से नियमित व्यवस्था करने में अक्षम हैं।

7.51 गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में लगभग 60% ग्राम पंचायतें नियमित स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कर रही हैं, उसमे से 12.2% ग्राम पंचायतें कई कारणों से नियमित स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं कर पा रही हैं। प्रकाश व्यवस्था होने के बावजूद नियमित स्ट्रीट लाइट उपलब्ध नहीं करवा सकने वाली ग्राम पंचायतों में 42.6% ग्राम पंचायतें, संधारण राशि की अनुपलब्धता जबकि 9.6% पंचायतें बिजली बिल के समय पर भुगतान नहीं कर पाने तथा शेष अन्य कारणों से सेवा उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं।

7.52 गैर अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में से दुर्ग (91.9%), बालोद (89.7%), धमतरी (82.9%), बेमेतरा (80.2%) जिले की ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था वाली पंचायतों की प्रतिशतता उच्च है। रायगढ़ तथा रायपुर जिले में भी लगभग 75% ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, परंतु कबीरधाम (21.4%), मुंगेली (25.7%) तथा बिलासपुर (26.2%) जिले में स्ट्रीट लाइट वाली ग्राम पंचायतों की प्रतिशतता सबसे कम है। अन्य जिलों में 50 प्रतिशत से अधिक ग्राम पंचायतें स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नियमित रूप से कर रही हैं। प्रकाश व्यवस्था होने के बावजूद कई कारणों से स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नही कर पाने वाली ग्राम पंचायतों की प्रतिशतता कबीरधाम (32.5%), बिलासपुर (29%) तथा गरियाबंद (21%) जिले में अधिक है।

प्रकाश व्यवस्था

- ग्राम पंचायत क्षेत्रों में 51.2% ग्राम पंचायतों में सड़कों में प्रकाश की व्यवस्था है।
- गैर अनुसूचित क्षेत्रों की लगभग 60% तथा अनुसूचित क्षेत्रों की 40.3% ग्राम पंचायतों में सड़कों में प्रकाश की व्यवस्था है।
- ग्राम पंचायतों में सड़को में प्रकाश व्यवस्था न होने के प्रमुख कारण

40.9% ग्राम पंचायतों में संधारण हेतु धनराशि की अनुपलब्धता

10.6% ग्राम पंचायतों में बिजली बिल का समय पर भुगतान ना कर पाना

7.53 अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में नियमित स्ट्रीट लाइट वाली, 40.3% ग्राम पंचायतें हैं। इन क्षेत्रों में लगभग 30% ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जहां कई कारणों से पंचायतों द्वारा स्ट्रीट लाइट चालू नही है। इनमें लगभग 40% ग्राम पंचायतें संधारण राशि की अनुपलब्धता, जबकि लगभग 11% बिजली बिल के समय पर भुगतान न कर पाने के कारण नियमित स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करने में अक्षम है। यदि उपरोक्त कारणों का निवारण किया जा सके तो अनुसूचित तथा गैर अनुसूचित क्षेत्र की पंचायतों के बीच स्ट्रीट लाइट की उपलब्धता के अंतराल को दूर किया जा सकता है।

7.54 अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायत में बालोद (80.4%), कोरबा (65.9%), रायगढ़ (61.7%), बस्तर (56.1%) तथा राजनाँदगाँव (51.9%) में आधे से अधिक ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइट की नियमित व्यवस्था है। अनुसूचित क्षेत्र के 11 जिले ऐसे हैं, जहां नियमित स्ट्रीट लाइट वाली ग्राम पंचायतों की प्रतिशतता 33 प्रतिशत से कम है। कोरिया (17.7%), बलरामपुर (16.9%) तथा दंतेवाड़ा (10.8%) जिले में स्ट्रीट लाइट है। प्रकाश व्यवस्था होने के बावजूद, कई कारणों से स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करने में असमर्थ ग्राम पंचायतों की प्रतिशतता दंतेवाड़ा (67.5%), बलरामपुर (56.2%) तथा सूरजपुर (50.2%) में सर्वाधिक है।

7.55 प्रदेश के पंचायत क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं में शौचालय की उपलब्धता संतोषजनक है, तथा जल–जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से जल योजना प्रगति पर है। पक्की सड़क, नाली, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था जैसी मूलभूत सेवाओं में अभी बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। इन सेवाओं में मांग और उपलब्धता के बीच अन्तरालों का उल्लेख संबंधित बिन्दुओं पर किया गया है। **आयोग इन अन्तरालों की पूर्ति करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाने की अनुशंसा करती है। इसके लिए वित्त व्यवस्था की अनुशंसा अध्याय 12 में की गई है।**

समेकित बाल विकास

7.56 उचित सामुदायिक शिक्षा के द्वारा बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य की देखभाल तथा शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास की नींव रखने हेतु 1975 में केंद्र सरकार द्वारा, समेकित बाल विकास योजना आरंभ की गई

थी। इस योजना के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में निर्धारित जनसंख्या मापदंडों के अनुसार आँगनबाड़ी तथा मिनी ऑगनबाड़ी केंद्र स्थापित किये गये हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में 50 हजार से अधिक आँगनबाड़ी तथा मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित हैं। ऑगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना द्वारा बाल विकास हेतु विभिन्न विभागों द्वारा लागू गये कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा उनमें परस्पर सहयोग में सुविधा हुई है।

समेकित बाल विकास

- ग्राम पंचायत क्षेत्रों में 95.6% ग्राम पंचायतो में एक से अधिक आंगनबाड़ी की व्यवस्था है।
- राज्य में प्रति ग्राम पंचायत औसतन 4 आंगनबाड़ी केन्द्र स्थापित हैं।
- गैर अनुसूचित क्षेत्रों में प्रति ग्राम पंचायत औसतन 3 तथा अनुसूचित क्षेत्रों में प्रति ग्राम पंचायत औसतन 5 आंगनबाड़ी केन्द्र स्थापित हैं।
- बच्चों के टीकाकरण में 96.6%टीकाकरण सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में हुई है।

7.57 छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों में पोषण तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार, उनके लिए पूरक पोषण आहार का वितरण, टीकाकरण तथा बाल कुपोषण के स्तर को कम करने में आँगनबाड़ी केन्द्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। बच्चों को शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा से जोड़कर, शिक्षा और साक्षरता की स्थिति में सुधार के साथ साथ शिशु पालन में माताओं की दक्षता एवं क्षमता के उन्नयन हेतु भी आँगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से विविध प्रयास किये गये हैं।

7.58 नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे (NFHS-5, 2020–21) के अनुसार राज्य में 12 से 23 महीने के बच्चों का टीकाकरण, वैक्सीनेशन कार्ड द्वारा प्राप्त जानकारी अथवा माता द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार 79.9% हो चुका है। बच्चों के टीकाकरण में 96.6% टीकाकरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में हुई है। उपरोक्त कार्यक्रमों की सफलता में आँगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिकाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। परंतु राज्य में अभी भी शिशु तथा शिशुवती माताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु सतत् सार्वजनिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। NFHS - 5 (2020–21) के अनुसार राज्य में शिशु मृत्यु दर (IMR) में कमी आयी है, तथा यह NFHS - 4 (2015–16) में 54 प्रति हजार से घटकर 44.3 प्रति हजार हो गया है। 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर [U5MR] NFHS-4 (2015–16) में 64.3 प्रति हजार से घटकर NFHS-5 (2020–21) में 50.4 प्रति हजार हो गया है। शिशु मृत्यु दर में कमी तो हुई है, परंतु अभी भी यह दुखद रूप से उच्च स्तर पर है।

7.59 जन्मोपरांत माता तथा शिशुओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। NFHS - 5 (2020–21) के अनुसार 6 से 59 महीने की उम्र के 67.2% बच्चे एनेमिक (रक्ताल्पता) हैं, जबकि 15 से 49 वर्ष, आयु वर्ग की 51.8ः गर्भवती महिलाएँ एनेमिक (रक्ताल्पता) हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के 34.6% बच्चों के कद का विकास अवरुद्ध है, जबकि 31.3ः प्रतिशत बच्चों के उम्र के अनुरूप कम वजन के हैं।

7.60 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा किये गये सर्वे–अध्ययन के अनुसार, राज्य में प्रति ग्राम पंचायत लगभग 4 आँगनबाड़ी केंद्र स्थापित हैं। राज्य में 95.6% ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जहाँ एक से अधिक आँगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। (अनुलग्नक 7.8)

7.61 आँगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना में गैर अनुसूचित क्षेत्र की तुलना में अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति बेहतर है। राज्य के अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में प्रति ग्राम पंचायत, औसत 5 आँगनबाड़ी केंद्र स्थापित हैं, जबकि 98.3% ग्राम पंचायतों में 1 से अधिक आँगनबाड़ी केंद्र स्थापित हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र में प्रति ग्राम पंचायत औसत 3 आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित हैं, तथा 93.5% ग्राम पंचायतों में एक से अधिक आँगनबाड़ी केंद्र स्थापित हैं। (अनुलग्नक 7.8)

मितानिन स्वास्थ्य कार्यकर्ता

7.62 राज्य निर्माण के समय छत्तीसगढ़ राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत पिछड़ा हुआ था। राज्य में न सिर्फ स्वास्थ्य अधोसंरचना की कमी थी बल्कि जनसंख्या के अनुपात में स्वास्थ्य सुविधा केंद्र भी बहुत कम स्तर पर थे। स्वच्छ पेयजल की कमी, कुपोषण, अशिक्षा, आरोग्यता के दृष्टिकोण से अस्वच्छ जीवन दशा, सामाजिक कुरीतियाँ, गरीबी, स्वच्छ शौचालयों की कमी आदि कारणों से मातृ तथा शिशु मृत्यु दर उच्च स्तर पर थे, राज्य कई संचारी रोगों से ग्रस्त था, तथा जनता में स्वास्थ्यगत जागरूकता की कमी थी।

7.63 जनता को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जागरुक करने, उपलब्ध स्थास्थ्य अधोसंरचना का अधिकतम उपयोग करने तथा उसका लाभ पूरे समुदाय को सहजता से पहुंचाने के लिए, वर्ष 2002 में प्रदेश के 14 विकासखंड़ो में मितानिन परियोजना आरंभ की गयी। जिसे अप्रैल 2006 से राज्य के सभी विकासखंड़ों में संचालित किया जाने लगा। "मितानिन" का अर्थ "महिला मित्र" होता है, इसकी नियुक्ति ग्राम पंचायत अथवा संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा होती है। मितानिन उसी गाँव के निवासी होते हैं, जिस गांव में उनकी नियुक्ति होती है, परिणामस्वरूप वे स्थानीय रीति रिवाजों, भाषा स्वास्थ्य जरूरतों तथा समस्याओं से अच्छी तरह परिचित होते हैं, परिणामस्वरूप, स्वास्थ्य सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने में और रोगों से निवारक बचाव के दृष्टिकोण से प्राथमिक और सार्थक पहल करते हैं। वर्तमान में राज्य में 65000 से अधिक मितानिन कार्यकर्ता हैं। मितानिन कार्यक्रम का संचालन, कार्यान्वयन तथा निगरानी, प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।

7.64 मितानिनों ने महिला एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। शिशु मृत्यु दर, NFHS&3 (2005–06) में 71 से घटकर NFHS-5 (2020–21) में 44 हो गई हैं, तथा इस अवधि में 0 से 5 आयु समूह में बाल मृत्यु दर 90 से घटकर 50 हो गई है। कुल गर्भवती महिलाओं में पूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल (Antenatal care- ANC) प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत NFHS-5 (2020–21) में 65.7 प्रतिशत हो गया है। संस्थागत प्रसव का स्तर NFHS-3 (2005–06) में मात्र 14.3% थी, जो लगातार बढ़ते हुए NFHS-5 (2020–21) में 85.7% हो गया है। टीकाकरण के स्तर में वृद्धि, कुपोषण के स्तर में कमी लाने तथा महिलाओं को स्वास्थ्य जागरूकता प्रदान करने में मितानिनों की भूमिका प्रशंसनीय है। मितानियों ने कोविड़–19 के दौरान, ग्रामीण स्तर पर संक्रमण से बचाव के लिए जागरुकता तथा निवारक बचाव हेतु भी महती भूमिका निभायी है।

मितानिन सुविधा

- राज्य में 96.3% ग्राम पंचायतों में मितानिन सुविधा उपलब्ध है।
- गैर अनुसूचित क्षेत्रों में 97.2% तथा अनुसूचित क्षेत्रों में 95.1% ग्राम पंचायतों में मितानिन सुविधा उपलब्ध है।
- शिशु मृत्यु दर, NFHS-3 (2005–06) में 71 से घटकर NFHS-5 (2020–21) में 44 हो गई है।
- कुल गर्भवती महिलाओं में पूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल (Antenatal Care - ANC) प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत NFHS-5 (2020–21) में 65.7% है।

7.65 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के सर्वे – अध्ययन के अनुसार प्रदेश स्तर पर 96.3% ग्राम पंचायतों में मितानिन सुविधा उपलब्ध है। गैर अनुसूचित क्षेत्र में मितानिन कार्यक्रम का विस्तार 97.2% ग्राम पंचायतों में है, जबकि अनुसूचित क्षेत्र में 95.1% ग्राम पंचायतों में मितानिन की सुविधा है। (अनुलग्नक 7.8)

शिक्षा की उपलब्धता

7.66 गुणवत्तापूर्ण तथा सर्वसुलभ शिक्षा की व्यवस्था उन्नत तथा प्रगतिशील मानव संसाधन के निर्माण के लिए नींव का पत्थर होती है। जनगणना 2011 में छत्तीसगढ़ में कुल साक्षरता का प्रतिशत 70.28% था। क्षेत्रीय स्तर पर साक्षरता की स्थिति में व्यापक असमानतायें हैं। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश में शहरी क्षेत्र में साक्षरता दर 84.05% जबकि ग्रामीण क्षेत्र में मात्र 65.99% थी। इसमें भी ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष साक्षरता 76.98% जबकि महिला साक्षरता मात्र 55.06% थी।राज्य में साक्षरता की स्थिति में अनुकुल सुधार हो रहे हैं, शिक्षा हेतु नामांकन दरों में वृद्धि हुई है तथा शाला त्याज्यता के अनुपात में कमी आयी है, शिक्षा हेतु अधारभूत संरचना का भी विस्तार शीघ्रता से किया गया है, तथापि ग्रामीण स्तर पर शिक्षा के विकास–विस्तार और गुणवत्ता उन्नयन हेतु सतत् नवाचारी प्रयास करने होंगे। राज्य में शिक्षा की स्थिति अभी भी संतोषजनक नहीं है। NFHS-5 (2020–21) के अनुसार 10 वर्ष अथवा इससे अधिक वर्ष तक शिक्षा प्राप्त महिलाओं की प्रतिशतता मात्र 36.9% है। शहरी क्षेत्र में 52.4% जबकि ग्रामीण क्षेत्र में मात्र 32.1% महिलाओं ने 10 वर्ष अथवा इससे अधिक वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की है। पुरुषों के लिए भी यह सूचक निचले स्तर पर है। राज्य में 41.5% पुरुषों ने 10 वर्ष अथवा उससे अधिक वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की है, शहरी क्षेत्र पुरुषों के लिए यह 52.2% जबकि ग्रामीण क्षेत्र पुरुषों के लिए 38.1% है।

7.67 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग ने पंचायत क्षेत्र में शिक्षा की उपलब्धता हेतु सर्वे – अध्ययन किया है, जिसके अनुसार राज्य स्तर पर 14.6% ग्राम पंचायत क्षेत्र ऐसे हैं, जहाँ केवल प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध है, 51.6% ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जहाँ प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर तक शिक्षा उपलब्ध है, 16.30% ग्राम पंचायत क्षेत्र में हाईस्कूल तक शिक्षा उपलब्ध हैं, जबकि मात्र 15.0% ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जहाँ हायर सेकेण्डरी स्तर तक शिक्षा उपलब्ध है। प्रदेश के ग्राम पंचायतों में लगभग 50% ग्राम पंचायत में पंचायत क्षेत्र के भीतर ही माध्यमिक स्तर तक शिक्षा उपलब्ध हो रही है। अनुसूचित क्षेत्र में मात्र 12.56% ग्राम पंचायतों में पंचायत क्षेत्र के भीतर हायर सेकेण्डरी स्तर की शिक्षा उपलब्ध है, जबकि गैर अनुसूचित क्षेत्र की पंचायतों के लिए यह 17% है। (अनुलग्नक 7.9)